फाइल सं. ए.12018/79/2019-कुष्ठ
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में रसोईघर सहायक समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में रसोईघर सहायक समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 28/11/22
(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक 28/11/22

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख..........,2022

अधिसूचना

सा. का. नि............ -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (रसोईघर सहायक) भर्ती नियम, 2001 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़, रसोईघर सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़, रसोईघर सहायक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूचित

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रसोईघर सहायक	*03(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नही
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	**सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं ।**	**पदोन्नति के मामले में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन** द्वारा तथा **विभिन्न पद्धतियों** द्वारा **भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18-25 के बीच* *यदि भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18 एवं 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों के मामलें में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के मामलें में 45 वर्ष	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (कक्षा 10) पास; (2) किसी अस्पताल/ मान्य संगठन के रसोई घर में 1 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव टिप्पण 1: यदि उम्मीदवार सुयोग्य है तो उसके कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर अनुभव से संबन्धित योग्यता में छूट दी जा सकती है।	लागू नही होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा शत प्रतिशत टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी पर रहने या एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने अथवा अन्य परिस्थितियों के अधीन बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है;

तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।			(क) जो नियमित आधार पर वेतन मेट्रीक्स के स्तर 1 में सदृश पद में हों; और (ख) स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखते हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(11)	**(12)**	**(13)**
लागू नही होता।	समूह 'ग' विभागीय नियमितीकरण समिति (नियमित किए जाने के लिए)जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1.निदेशक, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य 3.वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य।	लागू नही होता।

[ए.12018/79/2019-कुष्ठ]

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार